



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 02-अ.प्र.-04 / पाकालि / 2010-9(74) / 92

दिनांक: मार्च 05, 2010

कार्यालय ज्ञाप

मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.02.2010 के दृष्टिगत मा. लोक सेवा न्यायाधिकरण में दायर याचिका संख्या 1414/2007 पर मा. न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 09.09.2009 के अनुपालन में कारपोरेशन के आदेश संख्या 637-शि.जां.-05ई/पाकालि/2010-4(24)शि.जां.-05ई/09 दिनांक 24.02.2010 द्वारा कारपोरेशन की सेवा में पुनर्पदस्थापन के फलस्वरूप अभि. कैलाश चन्द्र यादव (79080), आगरा, बी0एस0सी0, इंजी0 (मैकेनिकल), सहायक अभियन्ता को एतद्वारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. (जनपद आगरा से अन्यत्र तैनाती हेतु) को आवंटित किया जाता है।

2. उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

अपर प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 02(1)अ.प्र.-04 / पाकालि / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र.शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता, आर.पी.एम.ओ./कम्प्यूटराइजेशन इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगणों के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
5. पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
7. विधि अधिकारी, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप सचिव (शि.जां.-05 ई), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ को आदेश संख्या 637-शि.जां.-05ई/पाकालि/2010-4(24)शि.जां.-05ई/09 दिनांक 24.02.2010 के सन्दर्भ में।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अनु सचिव (गोपन)/उपसचिव (03) उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(बी0बी0श्रीवास्तव)

उप सचिव